हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–54/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 30) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

192–राजपत्र/2011–22–12–2011 (4731)

2011 का विधेयक संख्यांक 30

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 17 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, ''2008'', अंकों के स्थान पर ''2011'' अंक रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 की उपधारा (4) निधि की आजीवन सदस्यता के लिए, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पांच हजार रुपए का संदाय करने पर, उपबन्ध करती है। उक्त अभिदान करने की अंतिम तारीख 30–09–2010 को समाप्त हो गई है और निधि के सदस्यों, जिन्हें अतिशेष रकम को जमा करने की अंतिम तारीख की जानकारी नहीं थी तथा जिन्होंने उसे उपर्युक्त नियत अवधि के

भीतर जमा नहीं किया, ने हिमाचल प्रदेश बार कांउसिल को आजीवन अभिदान को जमा करने हेतु अवधि को बढ़ाने के लिए सिफारिश की है। हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि की न्यासी समिति ने संकल्प पारित किया है कि निधि के विद्यमान सदस्यों के लिए आजीवन अभिदान की अतिशेष रकम को जमा करने की तारीख को इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख....., 2011.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 30 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2011

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996, in sub-section (4), in the second proviso, for the figures "2008", the figures "2011" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (4) of section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund, Act, 1996, provides for life time membership by making payment of five thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008. The deadline for the said subscription has been expired on 30.9.2010 and the members of the fund who were not aware of the deadline for depositing the balance amount, and could not deposit the same within the above stipulated period, approached the Bar Council of Himachal Pradesh for extending the period for depositing life subscription. The Trustee Committee of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund has resolved that the date for depositing of the balance amount of life subscription for existing members of the fund may be extended for another two years from the date of coming into force of this amendment Act. Thus it has been decided to make suitable amendment in section 17 of the Act *ibid*. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala :
The , 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—